

- **अवेध तसकरी को रोकने** के लिये **पुरावशेषों** की आवाजाही और व्यापार को वनियिमति कयिा गया ।
- नरिदषिट क्शेत्रों में पुरातात्वकि उत्खनन पर नयित्रण का प्रावधान कयिा गया ।
- कुछ मामलों में संरक्षण के लिये प्राचीन स्मारकों के अधगिरहण को सुगम बनाया गया ।

▪ **महत्त्व:**

- एक संरचति कानूनी ढाँचे के तहत भारत की ऐतहिसकि और सांस्कृतकि वरिसत की रक्षा करने में एक आधारभूत भूमकि नभिाई ।
- स्मारक संरक्षण में ASI की ज़मिेदारयिों को बढ़ाया गया ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/asi-response-on-sambhal-mosque>

